

Part-V

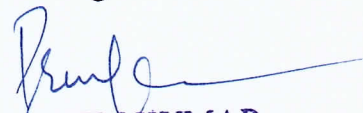
(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.																																					
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता मेसर्स गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमि. कोरबा (छ.ग.) को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ वनमण्डल एवं कोरबा जिले के कोरबा वनमण्डल अन्तर्गत 765 के.व्ही. डबल सर्किट धरमजयगढ़-रायगढ़ (तमनार) पुल विद्युत पारोषण लाईन निर्माण हेतु रकबा 137.014 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है :- <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>वनमंडल</th> <th>आरक्षित वन</th> <th>संरक्षित वन</th> <th>नारंगी वन</th> <th>असीमांकित वन</th> <th>राजस्व वन</th> <th>कुल क्षेत्रफल (हे. में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>धरमजयगढ़</td> <td>20.959</td> <td>14.001</td> <td>—</td> <td>9.583</td> <td>14.151</td> <td>58.694</td> </tr> <tr> <td>रायगढ़</td> <td>—</td> <td>19.356</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>3.540</td> <td>22.896</td> </tr> <tr> <td>कोरबा</td> <td>—</td> <td>6.481</td> <td>14.848</td> <td>—</td> <td>34.095</td> <td>55.424</td> </tr> <tr> <td>योग</td> <td>20.959</td> <td>39.838</td> <td>14.848</td> <td>9.583</td> <td>51.786</td> <td>137.014</td> </tr> </tbody> </table> प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग III में की गई अनुशंसा तथा अधिरोपित शर्त से सहमत होते हुए निम्न शर्त का अधिरोपण भी प्रस्तावित है :- “प्रस्तावित विद्युत ट्रांसमिशन लाईन के 10 कि.मी. की परिधि में वन्यप्राणी संरक्षण एवं विलुप्त प्रजाति हेतु Habitat Development, पेयजल व्यवस्था सहित विस्तृत वन्यप्राणी एवं वनक्षेत्रों में पाये जाने वाले पक्षियों के संवर्धन हेतु विस्तृत पक्षी संवर्धन योजना आवेदक संस्थान के व्यय से प्रस्तावित है।”	वनमंडल	आरक्षित वन	संरक्षित वन	नारंगी वन	असीमांकित वन	राजस्व वन	कुल क्षेत्रफल (हे. में)	धरमजयगढ़	20.959	14.001	—	9.583	14.151	58.694	रायगढ़	—	19.356	—	—	3.540	22.896	कोरबा	—	6.481	14.848	—	34.095	55.424	योग	20.959	39.838	14.848	9.583	51.786	137.014
वनमंडल	आरक्षित वन	संरक्षित वन	नारंगी वन	असीमांकित वन	राजस्व वन	कुल क्षेत्रफल (हे. में)																															
धरमजयगढ़	20.959	14.001	—	9.583	14.151	58.694																															
रायगढ़	—	19.356	—	—	3.540	22.896																															
कोरबा	—	6.481	14.848	—	34.095	55.424																															
योग	20.959	39.838	14.848	9.583	51.786	137.014																															

Date : 29 -01-2021

Place : Raipur

Signature



Name - Prem Kumar
 Designation - Secretary
 Govt. of Chhattisgarh
 Forest & Climate Change Dept.
 Manu Singh Bhawan
 Nawa Raipur, Atal Nagar

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5-21/2019/10-2

नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर दिनांक २९/०१/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),
भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियेट बिल्डिंग,
व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन,
नागपुर (महाराष्ट्र) – 440001 ।

विषय:— Diversion for Forest land for non-forest purpose under forest conservation Act.1980
Proposed for construction of 765 kv D/c Dharamjaigarh- Raigarh (Tamnar) Pool
Transmission line under three forest Division of Chhattisgarh State for “Additional
System for Power Evacuation from Generation Projects Pooled at Raigarh
(Tamnar) Pool” area 137.014 ha- regarding.

संदर्भ:— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-173 /2871, दिनांक
22.11.2019 तथा पत्र क्र./भू-प्रबंध/विद्युत/ 479-173/2416, दिनांक 31.12.2020 ।

—00—

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़, रायपुर, से संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :-

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या																																			
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र – आवेदनकर्ता मेसर्स गोवा तमनार ट्रांशमिशन प्रोजेक्ट लिमि. कोरबा (छ.ग.) द्वारा रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ वनमण्डल एवं कोरबा जिले के कोरबा वनमण्डल अन्तर्गत 765 के.व्ही. डबल सर्किट धरमजयगढ़–रायगढ़ (तमनार) पुल विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु रकबा 137.014 हे. के लिए आवेदन किया गया है। आवेदित वन भूमि का वन मंडलवार विवरण निम्नानुसार है:– <table><tr><th>वनमंडल</th><th>आरक्षित वन</th><th>संरक्षित वन</th><th>नारंगी वन</th><th>असीमांकित वन</th><th>राजस्व वन</th><th>कुल क्षेत्रफल (हे. में)</th></tr><tr><td>धरमजयगढ़</td><td>20.959</td><td>14.001</td><td>—</td><td>9.583</td><td>14.151</td><td>58.694</td></tr><tr><td>रायगढ़</td><td>—</td><td>19.356</td><td>—</td><td>—</td><td>3.540</td><td>22.896</td></tr><tr><td>कोरबा</td><td>—</td><td>6.481</td><td>14.848</td><td>—</td><td>34.095</td><td>55.424</td></tr><tr><td>योग</td><td>20.959</td><td>39.838</td><td>14.848</td><td>9.583</td><td>51.786</td><td>137.014</td></tr></table>	वनमंडल	आरक्षित वन	संरक्षित वन	नारंगी वन	असीमांकित वन	राजस्व वन	कुल क्षेत्रफल (हे. में)	धरमजयगढ़	20.959	14.001	—	9.583	14.151	58.694	रायगढ़	—	19.356	—	—	3.540	22.896	कोरबा	—	6.481	14.848	—	34.095	55.424	योग	20.959	39.838	14.848	9.583	51.786	137.014	1 से 27
वनमंडल	आरक्षित वन	संरक्षित वन	नारंगी वन	असीमांकित वन	राजस्व वन	कुल क्षेत्रफल (हे. में)																															
धरमजयगढ़	20.959	14.001	—	9.583	14.151	58.694																															
रायगढ़	—	19.356	—	—	3.540	22.896																															
कोरबा	—	6.481	14.848	—	34.095	55.424																															
योग	20.959	39.838	14.848	9.583	51.786	137.014																															

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
2	प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष / पंजीयन क्रमांक) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर द्वारा प्रकरण का आनलाईन पंजीयन क्रमांक— FP/CG/ TRANS/ 35105/2018 आबंटित किया गया है। आवेदक द्वारा पंजीयन शुल्क रु. 6000/- एवं प्रोसेसिंग रु. 175000/- कुल राशि 181000/- जमा कराये गये है जिसे वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल के पी.डी. खाते में जमा किया गया है। विवरण प्रपत्र-I में दिया गया है।	29 से 31
3	वन क्षेत्र का विवरण – रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ वनमण्डल एवं कोरबा जिले के कोरबा वनमण्डल अन्तर्गत 765 के.व्ही. डबल सर्किट धरमजयगढ़-रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन हेतु आरक्षित वन भूमि 20.959 हे. संरक्षित वन भूमि 39.838 हे. नारंगी वन भूमि 14.848 हे. असीमांकित वन भूमि 9.583 हे एवं राजस्व वन भूमि 51.786 हे. कुल रकबा 137.014 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित किया गया है।	32 से 53
4	गैर वन क्षेत्र का विवरण – प्रकरण में प्रस्ताव अनुसार कोरबा वन मण्डल अन्तर्गत 163.416 हे., रायगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत 107.740 हे. एवं धरमजयगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत 55.119 हे. कुल 326.275.हे. राजस्व भूमि/निजी भूमि भी शामिल है।	54 से 59
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 मापमान पर – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का 1:50000 मापमान का मानचित्र क्रमांक 64N/04, 64N/08, 64J/15 एवं 64J/16 आते हैं, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	60 से 65
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप – प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का इन्डेक्स मैप प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 66 से 69 में संलग्न किया गया है तथा वन क्षेत्र का स्टॉक मैप 1:15000 स्केल पर एवं आवरण मैप 1:50000 स्केल का मैप पृष्ठ क्रमांक 1975 से 1985 में संलग्न है।	66 से 69
7	प्रपत्र 4 में प्रस्ताव – प्रस्ताव में निर्धारित प्रपत्र –4 में परियोजना प्रस्ताव को धारा-2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने संबंधी पत्रक संलग्न है जिसके अनुसार परियोजना की कुल लागत रु. 253.83 करोड़ है। यह विद्युत पारेषण प्रणाली रायगढ़ में जिंदल पावर लिमिटेड के 2400 मेगावाट तथा टी.आर.एन एनर्जी के 600 मेगावाट जनरेटिंग प्रोजेक्ट के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली विद्युत से 3000 मेगावाट को निकालकर और उसे 765 के.व्ही डबल सर्किट लाईन के द्वारा पी.जी.सी.आई.एल के रायगढ़ कोतरा स्थित जनरेटिंग काम्पलेक्स तक पहुँचाने के लिये तैयार की गई है। प्रस्ताव के पृष्ठ 89 ए से 93 में वृक्ष प्रजातियों के स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम दिये गये हैं।	70 से 93
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप – प्रस्ताव में आवेदक संस्थान द्वारा 765 के.व्ही. डबल सर्किट धरमजयगढ़-रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन परियोजना की विस्तृत टीप दी गयी है।	94 से 103

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या																																																						
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र – अंतिम रूप से वन भूमि प्रत्यावर्तन के समय लागू होने वाली वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने का वचन पत्र आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।	104 से 105																																																						
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र – इस आशय के वन मंडलवार तीन प्रमाण पत्र वनमण्डलाधिकारी कोरबा, वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ एवं वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ तथा आवेदक संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है।	106 से 115																																																						
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र – आवेदक संस्थान एवं वन मंडलाधिकारी त्रय द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है कि विद्युत पारेषण लाईन निर्माण होने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। पुष्टि हेतु भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की प्रति संलग्न की गयी है।	116 से 132																																																						
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र-अ एवं ब में) – प्रस्तावित परियोजना में वनमण्डल कोरबा, वनमण्डल रायगढ़ एवं वन मण्डल धरमजयगढ़ अन्तर्गत आवेदित वन क्षेत्र में 12908 वृक्ष, 03 बांस भिरा एवं 284 पोलाई का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है जिनका प्रजातिवार एवं गोलाईवार विवरण फार्म 1(a) एवं 1(b) में दिया गया है। ट्रांशमिशन लाईन के नीचे प्रभावित वृक्षों एवं विदोहन हेतु प्रस्तावित वृक्षों का वनमंडलवार विवरण निम्नानुसार है :- <table border="1"><thead><tr><th>वन मंडल</th><th colspan="4">67 मी. कॉरीडोर में</th><th colspan="4">10 x 2 मी. कंडक्टर बंडल के नीचे</th></tr><tr><th></th><th>रकबा</th><th>वृक्षों की संख्या</th><th>बांसभिरा की संख्या</th><th>पोलाई/ वृंथ की संख्या</th><th>रकबा</th><th>वृक्षों की संख्या</th><th>बांसभिरा की संख्या</th><th>पोलाई/ वृंथ की संख्या</th></tr></thead><tbody><tr><td>कोरबा</td><td>55.424</td><td>8281</td><td>19</td><td>229</td><td>16.544</td><td>2531</td><td>2</td><td>75</td></tr><tr><td>रायगढ़</td><td>22.896</td><td>12528</td><td>1</td><td>316</td><td>6.835</td><td>3831</td><td>1</td><td>134</td></tr><tr><td>धरमजयगढ़</td><td>58.694</td><td>20403</td><td>0</td><td>258</td><td>17.531</td><td>6546</td><td>0</td><td>75</td></tr><tr><td>योग</td><td>137.014</td><td>41212</td><td>20</td><td>803</td><td>40.900</td><td>12908*</td><td>3*</td><td>284*</td></tr></tbody></table> *विदोहन हेतु प्रस्तावित है।	वन मंडल	67 मी. कॉरीडोर में				10 x 2 मी. कंडक्टर बंडल के नीचे					रकबा	वृक्षों की संख्या	बांसभिरा की संख्या	पोलाई/ वृंथ की संख्या	रकबा	वृक्षों की संख्या	बांसभिरा की संख्या	पोलाई/ वृंथ की संख्या	कोरबा	55.424	8281	19	229	16.544	2531	2	75	रायगढ़	22.896	12528	1	316	6.835	3831	1	134	धरमजयगढ़	58.694	20403	0	258	17.531	6546	0	75	योग	137.014	41212	20	803	40.900	12908*	3*	284*	133 से 981
वन मंडल	67 मी. कॉरीडोर में				10 x 2 मी. कंडक्टर बंडल के नीचे																																																			
	रकबा	वृक्षों की संख्या	बांसभिरा की संख्या	पोलाई/ वृंथ की संख्या	रकबा	वृक्षों की संख्या	बांसभिरा की संख्या	पोलाई/ वृंथ की संख्या																																																
कोरबा	55.424	8281	19	229	16.544	2531	2	75																																																
रायगढ़	22.896	12528	1	316	6.835	3831	1	134																																																
धरमजयगढ़	58.694	20403	0	258	17.531	6546	0	75																																																
योग	137.014	41212	20	803	40.900	12908*	3*	284*																																																
13	कास्ट /बेनिफिट एनालिसिस – प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना में वनमण्डल कोरबा, वनमण्डल रायगढ़ एवं वन मण्डल धरमजयगढ़ अन्तर्गत प्रभावित वन क्षेत्र का कास्ट /बेनिफिट एनालिसिस तैयार कर संलग्न किया गया है जो नोडल वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है।	982 से 984																																																						

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
14	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश)– आवेदक संस्थान द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि 137.014 हे. के विरुद्ध वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु जांजगीर चाम्पा वन मण्डल के बलौदा वन परिक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम बिलारी के खसरा नं. 44/1 में 20 हे. एवं मिलौनी के खसरा नं. 941/1 में 10 हे. कुल 30.00 हे गैर वन (राजस्व भूमि) में वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। खसरा नक्शा, फार्म बी-1 व पी-2 प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 1005 से 1006 एवं 1033 से 1035 में संलग्न है। शेष 107.014 हे. के विरुद्ध 215.00 हे. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण आरक्षित वन / संरक्षित वन / नारंगी वन में प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार कुल 245 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। संपूर्ण वृक्षारोपण साईट का एक पृष्ठीय गोश्वारा प्रस्ताव पृष्ठ 995 पर है।	985
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास का नक्शा – प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित गैर वन क्षेत्र के आसपास का नक्शा संलग्न किया है।	986 से 988
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना– प्रस्तावित परियोजना में वनमण्डल कोरबा, वनमण्डल रायगढ़ एवं वन मण्डल धरमजयगढ़ अन्तर्गत आवेदित वन क्षेत्र रकबा 137.014 हे. के बदले 30 हे. गैर वन भूमि (समतुल्य) एवं शेष का दुगुना 215 हे. वन क्षेत्र (संरक्षित वन भूमि में 85 हे., आरक्षित वन भूमि में 100 हे. एवं नारंगी वन क्षेत्र में 30 हे.) इस प्रकार कुल 245.00 हे. क्षेत्र पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना जांजगीर चाम्पा वनमण्डल के बलौदा परिक्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तावित कर 10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना वर्ष 2019–20 की अद्यतन रु. 7,26,270 प्रति हे. की दर से तैयार कर प्रस्तुत किया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है। वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र का मानचित्र व डीजीपीएस रिपोर्ट मय सी.डी प्रस्ताव के पृष्ठ 1724 से 1779 में संलग्न है। संपूर्ण वृक्षारोपण साईट का एक पृष्ठीय गोश्वारा प्रस्ताव पृष्ठ 995 पर है।	989 से 1304
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र – प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वनमण्डलाधिकारी जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल अन्तर्गत प्रस्तावित है। वनमण्डलाधिकारी जांजगीर चाम्पा द्वारा जारी वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।	1305 से 1316
18	अधिनियम उल्लंघन अन्तर्गत कार्यों का विवरण– प्रस्तावित परियोजना में अधिनियम उल्लंघन अन्तर्गत कोई कार्य नहीं किया गया है जिसका प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	1317 से 1319
19	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण – लागू नहीं।	1320 से 1322
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही – लागू नहीं।	1323 से 1325

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र – प्रस्तावित परियोजना में वनमण्डल कोरबा, वनमण्डल रायगढ़ एवं वन मण्डल धरमजयगढ़ अन्तर्गत आवेदित वन क्षेत्र हेतु आवेदक संस्थान द्वारा उक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होने संबंधी प्रपत्र संलग्न किया गया है।	1326 से 1330
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान – प्रस्तावित परियोजना में कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान के संबंध में वनमण्डलाधिकारी कोरबा, वनमण्डल द्वारा लेख किया गया है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र हसदेव नदी के लिए जलग्रहण क्षेत्र बनाता है जो बारहमासी (Perennial) है जिसका मिली वाटरशेड कोड 4G2D1C4, 4G2D1D4, 4G2C6B2, 4G2C8B4, 4G2C9D4, 4G2C6B3 है। उक्त दर्शित मिलीवाटर शेड में उपचार की आवश्यकता है। उपचार हेतु ब्रशवुड चेकडेम, अर्दन चेकडेम, बोल्लर चेकडेम, गेब्रियन स्ट्रक्चर, परकुलश टैंक एवं स्टाप डेम निर्माण कार्य की आवश्यकता है। आवेदक विभाग एवं वन विभाग के साथ संयुक्त सर्वे कर कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान तैयार कर कियान्वयन हेतु आवश्यक राशि आवेदक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा तथा वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ व रायगढ़ द्वारा इस परियोजना में कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है, संबंधी प्रमाण पत्र दिया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।	1331 से 1333
23	रिक्लेमेशन प्लान – प्रस्ताव में रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	1334 से 1336
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में – प्रस्तावित परियोजना ट्रांसमिशन लाईन निर्माण का होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	1337 से 1339
25	व्यवस्थापन प्लान – प्रस्ताव अनुसार व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	1340 से 1342
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन – प्रस्तावित परियोजना में वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़, वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ एवं वन मण्डलाधिकारी कोरबा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। प्रतिवेदन अनुसार वनमंडलाधिकारी रायगढ़ ने अपने सहमति व्यक्त किया है। वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ द्वारा वन्य प्राणी की स्थिति अनुश्रवण हेतु phantom-IV ड्रोन कैमरा का मांग किया है। वनमण्डलाधिकारी कोरबा द्वारा भौतिक निरीक्षण के आधार पर आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा नहीं की गई है। मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन के 10 कि.मी की परिधि में वन्य प्राणी संरक्षण एवं विलुप्त प्रजाति हेतु Habitat Development, पेज जल व्यवस्था सहित विस्तृत वन्य प्राणी योजना एवं वन क्षेत्र में पाये जाने वाले पक्षियों के संवर्धन हेतु विस्तृत पक्षी संवर्धन योजना आवेदक संस्थान के व्यय पर प्रस्तावित करते हुए वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। प्रभावित वन क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीणों के द्वारा लघु वनोपज का संग्रहण किया जाता है यह भी उल्लेख किया गया है।	1342 से 1364

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र – प्रस्तावित वन क्षेत्र पर ऐतिहासिक महत्व का स्थल नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र वन मंडलवार संलग्न है।	1365 से 1367
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – वनमंडलाधिकारियों द्वारा लेख किया गया है कि प्रस्तावित परियोजना लीनियर परियोजना होने के कारण ग्राम सभा प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है परंतु चेक लिस्ट क. 34 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनापत्ति दी गई है।	1368 से 1376
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे.) – प्रस्ताव में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित रायगढ़ जिला एवं कोरबा जिले की वन भूमि का विवरण संलग्न है।	1377 से 1379
30	वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि का रकबा हे. में. – वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत जिले में स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि की जानकारी संलग्न है।	1380 से 1385
31	वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि का रकबा हे. में. – वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत रायगढ़, धरमजयगढ़ व कोरबा वन मंडलों के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा क्रमशः 248.788 हे., 528.624 हे. व 382.755 हे. है।	1386 से 1388
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी – प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें वन मंडलाधिकारी कोरबा द्वारा कोरबा वन मंडल अंतर्गत आवेदित वन क्षेत्र को हाथी रिजर्व घोषित करने का अधिसूचना प्रस्ताव वरिष्ठ को भेजा गया है लेख किया है। आवेदित क्षेत्र के 10 कि.मी बफर का मानचित्र संलग्न किया गया है जो प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 1964 से 1974 में संलग्न है। वन मंडलाधिकारी रायगढ़ तथा धरमजयगढ़ द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित न होने तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने का प्रमाण पत्र दिया गया है।	1389 से 1391
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन – प्रस्तावित प्रकरण खनन प्रकरण नहीं होने के कारण आवश्यकता नहीं है।	1392 से 1394
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र – प्रस्तावित परियोजना में कलेक्टर कोरबा एवं कलेक्टर रायगढ़ द्वारा वन अधिकार वितरण के संबंध में प्रदर्श स एवं फार्म 1 में अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र को पोर्टल पर अपलोड किया गया है।	1395 से 1496

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र— प्रस्तावित परियोजना प्रस्ताव में प्रभावित राजस्व वन भूमि हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र कलेक्टर कोरबा एवं कलेक्टर रायगढ़ द्वारा जारी किया गया है। मूल प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।	1497 से 1550
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र — प्रस्तावित परियोजना में आवेदक संस्थान द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र दिया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।	1551 से 1559
37	Cleanance under FC Act, 1980 Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance — संलग्न है।	1560 से 1563
38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it — प्रस्तावित परियोजना के संबंध में वन मंडलाधिकारी कोरबा, रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ द्वारा A detailed note on Soil Productivity or the lack of it की जानकारी प्रस्तुत की गई है जो प्रस्ताव में संलग्न है। तीनों वन मंडलाधिकारियों द्वारा वनस्पति विकास दर अति अल्प बतायी गई है।	1564 से 1566
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र — प्रस्तावित परियोजना में वन मंडलाधिकारी कोरबा, रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ वनमंडल द्वारा परियोजना में किसी प्रकार का कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।	1667 से 1569
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and Other non-forestry purposes under the forest (Conservation) Act 1980 — विद्युत पारेषण लाईन हेतु प्रस्तावित परियोजना में कुल वन भूमि रकबा 137.014 हे. प्रभावित हो रही है। आवेदित वन क्षेत्र 500 हे. से कम है अतः आवश्यकता नहीं है।	1570 से 1572
41	पंजीयन क्रमांक— पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण — प्रस्ताव में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर द्वारा पंजीयन क्रमांक— FP/CG/TRANS/35105/2018 आबंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन शुल्क रु. 6000/- एवं प्रोसेसिंग रु. 1,75,000/- कुल राशि 1,81,000/- जमा कराये गये है जिसे वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल के पी.डी. खाते में जमा किया गया है।	1573 से 1577

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (विशेषकर खनन प्रकरणों में) — वनमंडलाधिकारी कोरबा ने लेख किया है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र में एलीफेन्ट रिजर्व घोषित करने हेतु वर्तमान में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। इसके अलावा प्रपत्र-3 में मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर ने लेख किया है कि प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन के 10 कि.मी की परिधि में वन्यप्राणी संरक्षण एवं विलुप्त प्रजाति हेतु Habitat Development , पेज जल व्यवस्था सहित विस्तृत वन्य प्राणी योजना एवं वन क्षेत्र में पाये जाने वाले पक्षियों के संवर्धन हेतु विस्तृत पक्षी संवर्धन योजना आवेदक संस्थान के व्यय पर प्रस्तावित करते हुए वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।	1578 से 1580
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प का न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण — विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु प्रस्तावित तीन विकल्पों में से न्यूनतम प्रभावित वन क्षेत्र का चयन किया गया है। तुलनात्मक विवरण प्रस्ताव में मानचित्र सहित संलग्न है।	1581 से 1596 एवं 1600 से 1603
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण — प्रस्तावित परियोजना में आवेदनकर्ता मेसर्स गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमि. कोरबा (छ.ग.) द्वारा रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ वनमण्डल एवं कोरबा जिले के कोरबा वनमण्डल अन्तर्गत 765 के.व्ही. डबल सर्किट धरमजयगढ़—रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु रकबा 137.014 हे. के लिए निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव में संस्थान द्वारा अतिरिक्त जानकारी के रूप में विभिन्न नक्शे प्रस्तुत किया है जो फाईल नं. 5 व 6 में संलग्न किया गया है।	1597 से 1599 एवं 1604 से 1987

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर **Diversion** प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र-4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र-5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न:- प्रस्ताव 1 प्रति में।

(अभिषेक कुमार सिंह)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ-5-21/2019/10-2

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29/01/2021

प्रतिलिपि:-

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़, ।
 - 2.मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर छत्तीसगढ़ ।
 - 3.वनमंडलाधिकारी, कोरबा/रायगढ़/धरमजयगढ़,वनमंडल छत्तीसगढ़ ।
 - 4.आवेदनकर्ता मेसर्स गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड, कोरबा, छत्तीसगढ़ ।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।



उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

